न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

पीठासीन अधिकारीः– महेश गगोरिया , उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

प्रकरण संख्या–81 / 2024 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा.ले.रे.एक्ट

1. कमलेश कुमार पुत्र हीरालाल धाकड़, जाति धाकड़, उम्र बालिग, निवासी ग्राम रेनखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. कमला बाई पत्नी हीरालाल धाकड़, जाति धाकड़, उम्र बालिग, निवासी ग्राम रेनखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. गिरिराज पुत्र हीरालाल धाकड़, जाति धाकड़, उम्र बालिग, निवासी ग्राम रेनखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
4. बालचंद पुत्र हीरालाल धाकड़, जाति धाकड़, उम्र बालिग, निवासी ग्राम रेनखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
5. राजकुमार पुत्र हीरालाल धाकड़, जाति धाकड़, उम्र बालिग, निवासी ग्राम रेनखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

......प्रार्थी

विरूद्व

जरिये भूमिधारी श्रीमान् तहसीलदार रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

............विपक्षी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित :– **श्री अर्जुन सिंह**

अप्रार्थी की ओर से :– **पेरोकार सरकार**

दिनांकः– 22.01.2025

–:आदेशः–

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया हैं कि ग्राम मौजा रेनखेड़ा प0ह0 रेनखेड़ा तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या 295 खसरा संख्या 227 कुल किता 01, कुल रकबा 2.5900 है0, कुल लगानी 12.9500 पै0 भूमि प्रार्थीगण के नाम सहखातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थीगण के सहखातेदारी एवं कब्जेकाश्त की हैं जिसकी पत्थरगढी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र द्वारा निवेदन किया कि खसरा संख्या 227 के पडौसी खातेदार व प्रार्थीगण के बीच कृषि आराजीयात पर फसल बुवाई और फसल कटाई को लेकर व पास मेब के बाडे में फसल को रखने को लेकर व आये दिन मेड, घास फुस को काटने व सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है। प्रार्थीगण ने निवेदन किया हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराये जावे। प प्रार्थीगर्ण की ओर से आराजीयात जैर बहस की नकल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रैस प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थीगण को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया– प्रार्थीगण उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार निहित है।

पत्रावली पर अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली में उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली पर उभय पक्ष को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–128 रा.ले.रे. एक्ट को स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रावतभाटा को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता हैं ग्राम मौजा रेनखेड़ा प0ह0 रेनखेड़ा तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी [illegible] 76–79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या 295 खसरा संख्या 227 कुल किता 01, [illegible] रकबा 2.5900 है0, कुल लगानी 12.9500 पै0 भूमि प्रार्थीगण के नाम पर सहखातेदारी [illegible] काश्तकारान मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार [illegible] दिये नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगढी की [illegible] कोई विवाद हो तो पुनः न्यायालय में पेश करें। पर्चा मौका एवं मौका ट्रेस 15 योम में इस [illegible]लय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000/–रूपये अक्षरे एक हजार रूपये प्रार्थी से वसूल किये जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जा.दी. दायरी रजिस्टर नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 22.01.2025 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.03.04 12:51:54 IST
Reason: SelfAttested